

क्रि० मिस० केश नं०- २५३ / 2019

14/12/20

अभिलेख उपस्थापित। अभिलेख का अवलोकन किया। अवलाकनापरांत स्पष्ट होता है कि वर्तमान वाद की वैधानिक अवधि एक वर्ष की थी। समय पक्ष की ओर से या संबंधित थाना प्रभारी से शांति भंग होने संबंधी किसी भी प्रकार की सूचना प्राप्त नहीं है।

अतः वर्तमान वाद समाप्त किया जाता है।

लखापित एवं संशोधित।

14/12/2020

अनुमण्डल दण्डाधिकारी,

साइल।

14/12/2020

अनुमण्डल दण्डाधिकारी,

साइल।